घरेलू हिंसा, महिला और कानून

एस.एस. खींची
सह प्राध्यापक,
भूगोल विभाग,
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान

मीनू तंवर
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान

सारांश

समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जब से पृथ्वी पर मानव का उद्‌भव हुआ है। महिलाऐं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाये अपना योगदान दे रही है। समाज की कल्पना बिना महिलाओं के असम्भव है, महिलाएँ जहाँ परिवार के पोषक की भूमिका में रही है वहीं समाज में उसे तिरस्कार भी झेलना पड़ रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र ''घरेलू हिंसा, महिला और कानून'' में सामाजिक ढाँचें में महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका के साथ उसके साथ होने वाले सामाजिक तिरस्कार, भेदभाव, हिंसा का खाका प्रस्तुत किया गया है, साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय या हिंसा के प्रति उसे जगाते हुए कानून के द्वारा उसे अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, अत्याचार, तिरस्कार, कानून, अधिनियम

प्रस्तावना

नारी ईश्वर का वरदान है, उसकी महत्ता को किसी भी समाज में नकारा नहीं जा सकता क्योंकि उसका समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान है। नारी के पास प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे गुण होते हैं जो केवल नारी को ही प्राप्त हुए है, इसमें से महत्त्वपूर्ण गुण है सेवा–भावना। एक माता के रूप में बच्चों की सेवा, पत्नि के रूप में पति की सेवा, बहू के रूप में बड़े–बूढ़ों की सेवा और एक परिचारिका के रूप में समाज के दुःखी, अपंग और असहायों की सेवा करती है। सेवा करना नारी जीवन का स्वभाविक भाव है। अब प्रश्न उठता है कि जब नारी जीवन भर लोगों की सेवा करती है तो पुरूष और स्त्री मे यह प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष क्यों ? क्या स्त्री पुरूष सामाजिक जीवन के संघर्ष की स्पर्धा के पात्र है ?

यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द की उक्ति को उद्धत करना उपयुक्त होगा ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, विश्व के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है''। यह सच है कि स्त्री और पुरूष परिवार रूपी रथ के दो पहिए हैं जिनमें से यदि एक पहिया टूट जाए तो रथ का चलना कठिन हो जाता है। नारी का काम परिवार को बनाना है तो नर का काम है उस परिवार का पालन पोषण करना। एक पुरूष का अपने जीवन काल में तीन स्त्रियों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता है–माता, पत्नि और पुत्री। ये तीनों ही स्त्रियाँ अपनी–अपनी भूमिका का कुशलता से निर्वाह करते हुए लोगों के आदर, प्रेम और वात्सल्य की हकदार होती है, परन्तु इसके विपरित एकतथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय समाज में पुरूष की तुलना में नारी अधिक उत्पीड़ित, उपेक्षित, असहाय और कमजोर स्थिति में है उसके किसी भी प्रकार के विकास, प्रसार में पुरूष सहज रूप में नहीं ले पाता। उसकी मानसिकता हर हाल में नारी से कुछ अधिक प्रभावी, शक्तिवान व प्रचारित होने की होती है। दोनों ही पक्षों की इस स्थिति के लिए कई ऐतिहासिक, शारीरिक, जैविक, धार्मिक व सामाजिक कारण उत्तरदायी है जिन पर प्रहार करके ही पुरूष की संकीर्ण व स्वार्थी तथा नारी की भीरू पर परम्परागत मानसिकता को बदला जा सकता है। वर्तमान में महिलाओं के यौन शोषण, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, दहेज व दुष्चरित्र जैसे बहानों के कारण होने वाले अत्याचारों के कारण महिलाओं में आत्महत्या जैसी घटनाओं की वृद्धि हुई है। यहाँ आज हम व हमारा समाज महिलाओं की स्वतन्त्रता, राजनीति में भूमिका और महिला हितो के संरक्षण का दम्भ भरते हैं वहीं दूसरी और पर्दाप्रथा, दहेज लोभविता, दुष्कर्म वे समाज एवं परिवार की उपेक्षा का शिकार हो रही है। यही कारण है कि आजादी के 67 वर्ष पश्चात् व सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में बाद भी महिलाओं की स्थिति में वह सुधार नहीं हुआ जिसकी वे सही मायनों में हकदार है। जहाँ तक बात घरेलु हिंसा की है तो हम पश्चिमी देशों से बहुत पिछड़े हुए हैं, पश्चिमी देशों में महिलाओं ने जबरन जो अधिकार ले लिए वे ही उनकी मिले बाकि तो विश्व में अग्रज कहे जाने वाले देश अमेरिका में भी महिलाओं को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।

भारत में घरेलू हिंसा अलग–अलग रूप में देखने को मिलती है जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करना, कन्या भ्रूण हत्या, मानसिक शोषण, निरक्षरता, कम उम्र में विवाह और सन्तोत्पत्ति, पति द्वारा पत्नि का जबरन शारीरिक व मानसिक शोषण, गृह कार्य का अनावश्यक दबाब, कामकाजी महिलाओं का पत्नि, माँ व ऑफिस जैसे तिहरी जिम्मेदारीयों का निर्वहन करना आदि सम्मिलित है। ऐसे में परिवार व समाज ने महिलाओं की जिम्मेदारी व समस्या पहले क मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है।

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा दो रूपों में उभरकर सामने आती है। पहला अत्याचार (Voilence) व शोषण (Exploitation) सामान्य तौर पर अत्याचार का अर्थ है अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना और शोषण का अर्थ है उस व्यक्ति पर अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, हिंसा का सहारा लेना अर्थात् मारपीट करना।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा का शिकार न केवल घर में रहने वाली महिलाओं को होना पड़ता है अपितु कामकाजी शिक्षित महिलाएं भी घरेलू हिंसा का शिकार पाई गई है। घरेलु हिंसा व उत्पोड़न सम्बन्धी कानून 2005 में बना व 26 अक्टूबर 2006 में यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है इसके अन्तर्गत परिवार द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट, अत्याचार, डराना व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना दण्डनीय अपराध माना गया है इसके लिए सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

1. हमारे समाज में घरेलू हिंसा होने के प्रमुख कारण है महिलाओं में जागरूकता की कमी। घर में रहने वाली महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में न तो समाज में चेतना थी और न ही महिलाओं में। वे इसे अपना भाग्य या नियती मानकर चुपचाप सहती है।
2. घरेलू हिसा में बढ़ोतरी होने का दूसरा प्रमुख कारण है शिक्षा की कमी (निरक्षरता) शिक्षा के अभाव में न तो महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है और न ही कानून व सरकारी योजनाओं की जानकारी। भारतीय समाज में महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक बार बेटी की डोली किसी घर में जाती है तो उसकी अर्थी ही वापस आती है। हिन्दू समाज में विवाह के पश्चात् महिलाऐं ससुराल को ही एकमात्र अपना घर समझती है। अशिक्षा के अभाव में विवाह विच्छेद होना वे एक अपराध मानती है।
3. पुत्र प्राप्ति की लालसा के कारण भी महिलाऐं घरेलू हिंसा का शिकार बनती है। अज्ञानता के चलते वे इस बात से भी अनभिज्ञ होती है कि पुत्र अथवा पुत्री होना पुरूष पर निर्भर है फिर भी परिवार और समाज में वे पुत्र प्राप्ति की चाह में अवैध गर्भपात करवाने जैसे अपराध कर डालती है और इसमें उसके परिवार की महिलाएं हो उस महिला पर अनावश्यक दबाव डालती है। पुत्र प्राप्ति की लालसा, वंशबेल, सम्पत्ति का रखवाला, कुलदीपक, परिवार का उत्तराधिकारी आदि कई अलंकारों से समाज में पुरूषों का महत्त्व रहा है। इसी मानसिकता के कारण स्त्रियाँ युगों–युगों से शोषित होती चली आ रही है।
4. दहेज प्रथा जैसी कुरूति भी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को प्रोत्साहित करती है। इस प्रथा के कारण ही स्त्री स्वयं परिवार की महिलाओं द्वारा ही शोषित होती है। घर की महिलाओं द्वारा ही महिला के पति पर महिला को प्रताड़ित करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। दहेज प्रथा महिलाओं की मौत का महत्त्वपूर्ण कारक है। गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2001 तक दहेज के कारण हत्याओं में 182 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। यह माना जाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी के मध्य सुरक्षित है परन्तु वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है।
5. आँकडें बताते हैं कि भारतीय स्त्रियाँ चाँद पर जा सकती है, हिमालय पर चढ़ सकती हैं किन्तु अन्याय, शोषण, अत्याचार, यौनाचार, उत्पीड़न व भेदभाव की शिकार है। इसका मूल कारण पुरूषवादी सोच व समाज हैं, जिसमें पुरूष शोषक व महिला शोषित बनकर रह गई है। शारीरिक रूप से अपने को कमजोर मानने वाली महिला मानसिक रूप से भी निम्नता के दायरे में अपने आप को मानने लग गई है। भूमि का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण, निर्णय लेने की शक्ति पुरूषों के हाथों में होने के कारण महिलाऐं आर्थिक रूप से पुरूष को देवता, अन्नदाता व स्वामी मानती है। यही कारण है कि न केवल ग्रामीण व जनजातीय महिलाएँ अपितु शहरों में रहने वाली 70 प्रतिशत महिलांऐं जिनमें उच्च व मध्यम वर्ग की महिलाऐं भी घरेलु हिंसा का शिकार पाई जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 612 जिलों में किये गये अध्ययन के मुताबिक आधे से भी अधिक महिलाऐं नाबालिग लड़कियाँ व युवतियाँ यौन शोषण, घरेलु हिंसा व स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर पाई गई है, जो कि भारत जैसे विकसित होते देश के लिए अत्यन्त शर्मनाक है।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

यद्यपि महिलाओं की सफलता, प्रतिक्रिया, निराशा, सीमित सत्ता हस्तान्तरण की बाधाएं, सीमित संसाधन, सांस्कृतिक पूर्व धारणाएं आदि चुनौतियों की मात्रा व गुणवत्ता विशिष्ठ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्धारित होती हैं तथापि भारत के विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं की प्रकृति प्रभावी सत्ता हस्तान्तरण की सीमा वित्तीय व घरेलू मानवीय संसाधनों की उपलब्धता भी ग्रामीण महिलाओं की इन संस्थाओं में योग्यता व उपयोगिता में अन्तर पैदा करती है।

समाज में रहते हुए भी अधिकतर महिलाएं अपने पारिवारिक समर्थन के अभाव, अभिप्रेरणा व सहयोग आदि में कमी भी महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक जीवन में भागीदारी को हतोत्साहित करती है। अधिकतर महिलाएं सामाजिक मान्यता, जनता से मेलमिलाप पर प्रतिबन्ध, असुरक्षित एवं हिंसक वातावरण के कारण अपने सामाजिक योगदान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाती है।

महिला और कानूनी संरक्षण

महिलाओं के प्रति किये गये अपराध व पारिवारिक हिंसा की समस्या न केवल राष्ट्रीय स्तर पर

अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस का मुद्दा बना हुआ हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सम्पन्नता प्राप्त देश में अंतिम व्यक्ति तक पहुँच कर इस समस्या से निजात पाना असंभव है। सामाजिक व्यवस्थाओं में पुरूष प्रधान समाज की स्थापना यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को वास्तव में जो समानता या उपलब्धि समाज में मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल सकी है। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान से संबंधित विभेद विषेद हैं। इस पर भी महिलाओं और बच्चों को विशेषाधिकार दिये गये है ताकि समाज में वे अपना बराबर का योगदान दे सके, पर विडम्बना देखिए यही वर्ग समाज में उपेक्षित है। इसी कारण महिलाओं को कुछ कानूनी व सवैधानिक संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

विशेष विवाह अधिनियम 1954

इस अधिनियम के अनुसार स्वस्थ व बालिका स्त्रियां अपनी इच्छा से प्रेम विवाह या अन्तर्रजातीय विवाह कर सकती हैं बशर्ते कि वह जिससे विवाह कर रही है उसकी पूर्व पत्नी जीवित नहीं तथा व्यक्ति स्वस्थ व बालिग हो।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955

इस अधिनियम के अनुसार स्त्रियों को सम्पत्ति में व्यापक अधिकार दिये गय है। स्त्रियों को अपना धन स्वेच्छा से खर्च करने व अपने माता–पिता व पूर्वजों की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

किसी भी विवाहिक या अविवाहित स्त्री को शिशु को जन्म देने के लिए या गर्भपात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

दाम्पत्य एवं परिवार संबंधी अधिकार 1984

ऐसे विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 लागू किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990

यह अधिनियम महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है तथा महिलाओं की समस्याओं की जांच व निदान, महिला अधिकारों के लिए समता और विकास हेतु समुचित सहायता करता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2006

घरेलू हिंसा (महिला संरक्षण कानून) परिवार में किसी भी रूप में साथ रह रही स्त्रियों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है।

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम

यह अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या को रोकने संबंधी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। चाहे वह कार्य के घंटे की निश्चितता संबंधी या यौन उत्पीड़न सबंधी अथवा बेरोजगारी की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कैसा भी कार्य हो।

उपर्युक्त कानूनों के संरक्षण से महिलाओं के हितों की सुरक्षा की जा सकती है, किन्तु सही मायने में महिलाएं तभी सुरक्षित रह पायेगी जब आम आदमी के साथ–साथ समाज के राजनेता, अभिनेता, नौकरशाह सभी श्रेणी के लोगों यथा मध्यम व निम्न वर्ग की सोच में बदलाव आयेगा। देश के बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति हिंसा, दुष्कर्म व ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता यौन उत्पीड़न कहीं न कहीं हमारी अन्तरआत्मा को झकझोरता है। ऐसे में कानूनों में समानुसार बदलाव करके शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके महिलाओं व लड़कियों के विकास के लिए निवेश की व्यवस्था की जाए, घरेलू व पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा साथ ही स्त्री पुरूष समानता और विकास कार्यक्रम पर अमल किया जाए।

अक्सर नारी सशक्तिकरण को पुरूष की सत्ता को चुनौती देने से जोड़ दिया जाता है जो कि गलत है। वास्तव में यह लड़ाई पुरूष के खिलाफ नहीं हैं, अपितु यह तो स्त्री के स्वयं के सामाजिक ढाँचा को सुरक्षित व सुदृढ़ करने की लड़ाई हैं और इसके लिए आगे बढ़ने के प्रयास स्त्री को स्वयं ही करने होंगे। कहा भी जाता है कि छोटा–सा शुभारम्भ विकसित होते–होते उच्च स्थिति तक पहुँच जाता है कुल मिलाकर कानूनी संरक्षण व सामाजिक सोच में बदलाव जैसे उपायों को अपनाकर ही सकारात्मक परिवर्तन कर महिलाओं की वर्तमान दशा और दिशा को बदला जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हसन, एम. (1993) भरतीय महिला एवं आधुनिकीकरण, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. आप्टे, प्रभा (1995), भारतीय समाज में नारी।
3. Ghose, S.K. (1989), Indian Women through the ages, Ashish Publishing House, New Delhi
4. शर्मा, वी.पी. (1999), भारत में सामाजिक परिवर्तन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।